क्रम-संख्या-77

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 मार्च, 2016

चैत्र 2, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 590/79-वि-1-16-1(क)-12-2016

लखनऊ, 22 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 21 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (क) में-

(एक) शब्द "मार्ग" के स्थान पर शब्द "मार्ग, पुल, उपरिगामी सेतु, भूमिगत पारपथ" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "टाउन रिफ्यूज" के स्थान पर शब्द "स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शिक्षा, परिवहन, आपदा प्रबंधन, ईंधन, पावर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ब्राड बैण्ड कनेक्टिविटी और गैस पाइप लाइन" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"(ख-1) 'भवन' में कोई संरचना या निर्माण या उसका भाग सम्मिलित है जो किसी आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है या उपयोग में लाये जाने के योग्य है और उस पर कब्जा है या कब्जा किये जाने योग्य है";

(ग) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-

"(ग-1) 'कम्पनी' का तात्पर्य, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित किसी कम्पनी या इसके सांविधिक उपान्तरण से है जिसमें सम्पूर्ण दत्त अंशपूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा धृत है या अंशत: राज्य सरकार द्वारा और अंशत: केन्द्र सरकार द्वारा धृत है ;

(ग-2) 'विकास' का इसके व्याकरणिक भिन्नताओं सहित तात्पर्य है किसी भूमि या भवन पर किसी संगठित क्रियाकलाप को करना जिसमें कोई परिवर्तन भी है जो वित्तीय व्ययों के कारण हुआ है और जिससे दर योग्य मूल्यों में वृद्धि हो सकती है और इसमें पुनर्विकास भी है;

(ग-3) 'आर्थिक क्रियाकलाप' में औद्योगिक, विनिर्माण, वाणिज्यिक, वित्तीय, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लाजिस्टिक, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, शोध और विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, सूचना और संचार, प्रबन्धन और परामर्श, सुविधाओं के विकास और अनुरक्षण से जुड़ी गतिविधियां और सेवायें और ऐसे अन्य आर्थिक क्रियाकलाप हैं जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे";

(घ) खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-

"(घ-1) 'औद्योगिक टाउनशिप' का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट औद्योगिक टाउनशिप से है;

(घ-2) 'अवसंरचना परियोजना' का तात्पर्य किसी परियोजना से है जिसे ऐसी अवसंरचना, सुख-साधन, सुविधाओं या सेवाओं से है, जो विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र के सुगम और उत्कृष्ट कार्यों के लिए अपेक्षित हों, के विकास के लिए लिया गया है या लिया जाना है";

(ङ) खण्ड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-

"(ङ-1) 'स्थल' का तात्पर्य किसी भूमि या भवन या दोनों के चिन्हित अंश से है;

(ङ-2) 'विशेष निवेश क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1-क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित क्षेत्र से है;

(च) खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:–

"(च–1) 'इकाई' का तात्पर्य औद्योगिक विकास क्षेत्र या विशेष निवेश क्षेत्र में किसी आर्थिक कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किसी इकाई या उपक्रम से है;

(च–2) 'उपभोक्ता प्रभार' का तात्पर्य प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा उद्ग्रहीत प्रभारों से है"।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

"(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकारी घोषित कर सकती है, जिसे '(क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकरण' कहा जायेगा।

(1–क) राज्य सरकार किसी क्षेत्र को, उसकी भौगोलिक सीमाओं का अवधारण करते हुए, जो औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर या बाहर पड़ती हो या अंशत: भीतर या अंशत: बाहर पड़ती हो, अधिसूचना द्वारा विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है और ऐसे क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण को सशक्त कर सकती है। विशेष निवेश क्षेत्र को ऐसे नाम से जाना जाएगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे;"

(ख) उपधारा (3) में शब्द "सरकार के सचिव" और शब्द "संयुक्त सचिव" जहां कहीं आये हों के स्थान पर शब्द "सरकार के प्रमुख सचिव" और शब्द "विशेष सचिव" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जायेगा।

धारा 6 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(क) उपधारा (2) में खंड (ङ), (च), (छ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(ङ) नगरपालिका सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए प्लाट का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अंतरण करना एवं मास्टर प्लान के अनुसार ऐसी अन्य भूमि का प्रयोग करना;

(छ) मास्टर प्लान के अनुसार भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना एवं भूमि के प्रयोग को विनियमित करना; और

(ज) मास्टर प्लान के अनुसार उस प्रयोजन को अर्थात् ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या प्लाट का उपयोग किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:–

"(3) औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर सुनियोजित विकास करने के लिए या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण या तो पूर्णत: स्वामित्व वाली या अंशत: प्राधिकरण द्वारा और अंशत: राज्य सरकार द्वारा और अंशत: केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व वाली कोई कम्पनी या एक से अधिक कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन निगमित कर सकती है।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कम्पनी की अंश पूंजी, संगम ज्ञापन और अनुच्छेद ज्ञापन ऐसे होंगे जैसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये जाय:

परन्तु यह कि ऐसे मामलों में जहां अंश पूंजी अंशतः राज्य सरकार द्वारा धारित की जाय वहां अंश पूंजी इस उपधारा के अधीन संगम ज्ञापन और अनुच्छेद ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन बनायी गयी कम्पनी ऐसे कृत्यों को करेगी जैसे इसे संगम ज्ञापन द्वारा सौंपे जाय।

(6) जहां प्राधिकरण की राय में विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की गयी किसी विकास योजना के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में किसी सम्पत्ति का मूल्य, जो विकास द्वारा लाभान्वित हुआ हो, बढ़ गया हो या बढ़ने की संभावना हो, वहां विकास के निष्पादन के परिणाम स्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के संबंध में सम्पत्ति के स्वामी या इसमें हितलाभ रखने वाले किसी व्यक्ति पर सुधार प्रभार उद्ग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण हकदार होगा:

परन्तु यह कि सरकार द्वारा स्वामित्व वाली किसी भूमि के संबंध में कोई सुधार प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां सरकार की कोई भूमि सरकार द्वारा पट्टा पर या लाइसेंस के रूप में किसी व्यक्ति को दी गयी हो, चाहे उस पर कोई भवन स्थित हो या न हो, वहां वह इस उपधारा के अधीन सुधार प्रभार के अधीन होगी।"

धारा 9 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) में खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(ञ) ऐसी समय-सीमा जिसके भीतर कोई भवन बनाया जाना या विद्यमान भवन में मरम्मत, विस्तार या उपरान्तरण किया जाना अपेक्षित होगा, पूरा किया जायेगा और इसके पश्चात भवन के निर्माण या यथास्थिति, मरम्मत, विस्तार या उपान्तरण के पूरा होने की सूचना प्राधिकरण में दर्ज करायी जायेगी और उससे पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।"

नई धारा 11-क तथा 11-ख का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ायी जायेंगी, अर्थात्:—

टोल आदि उद्ग्रहण करने की शक्ति —

"11-क औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर ऐसे लोकप्रिय विश्राम स्थलों (किसी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों सहित) के पहुंच मार्गों और अन्य सुख साधनों के उपयोग के लिए प्राधिकरण आगंतुकों से ऐसी दरों और ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, पथकर उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए हकदार होगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा टोल के भुगतान से आगंतुकों के किसी भी वर्ग को छूट प्रदान कर सकती है और ऐसा कोई दिवस नियत कर सकती है जिस पर टोल नहीं लिया जायेगा।"

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण —

11-ख (1) औद्योगिक विकास क्षेत्र अथवा विशेष निवेश क्षेत्र या उसके किसी भाग के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा अधिरोपित स्टाम्प शुल्क में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे, उस प्रतिफल, जिसके सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क आँगणित किया है, की धनराशि अथवा उसके मूल्य पर दो प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी।

(2) उक्त वृद्धि से प्राप्त समस्त संग्रह, आनुषंगिक व्ययों की कटौती के पश्चात्, यदि कोई हो, और जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित किया जाय, को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपयुक्त लेखा-शीर्षक या निधि में हस्तान्तरित किया जायेगा और विनियोजित किया जायेगा।

नई धारा 12ख का बढ़ाया जाना

7–मूल अधिनियम की धारा 12(क) के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:–

"12 (ख)(1) राज्यपाल अधिसूचना द्वारा, भारत का संविधान के अनुच्छेद–243–थ के अधीन विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र या इसके किसी भाग को एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विर्निदिष्ट कर सकते हैं।

(2) उत्तर प्रदेश अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन जहां कोई विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका कोई भाग औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विर्निदिष्ट है, वहां ऐसा औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका भाग, नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो, अधिसूचना के दिनांक से ऐसे नगर पालिका क्षेत्र से अपवर्जित हो जायेगा और ऐसे क्षेत्र के संबंध में समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: पद "नगर पालिका" का वही अर्थ होगा जो भारत का संविधान के भाग नौ या भाग नौ–क में इसके लिए समनुदेशित है।"

धारा 13 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द"अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किसी फीस या कर का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है" के स्थान पर शब्द "अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किसी फीस या कर की किसी धनराशि के भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 13क का बढ़ाया जाना

9–मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"13क– धारा 13 के अधीन प्राधिकरण को देय कोई धनराशि सम्पत्ति पर प्रभार होगी और उसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) की धाराओं 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 के अधीन उपबंधित रीति से सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय करके वसूल किया जा सकेगा, और उक्त अधिनियम के ऐसे उपबंध किसी प्राधिकरण के देयों की वसूली के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होने जैसे ये किसी नगर निगम को देय कर की वसूली में लागू होते हैं तथापि उक्त अधिनियम की पूर्वोक्त धाराओं में "नगर आयुक्त" "निगम अधिकारी और निगम" को किये गये संदर्भ के अर्थ क्रमशः "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" और "प्राधिकरण" के संदर्भ में लगाये जायेंगे:

परन्तुक यह कि वसूली के एक से अधिक तरीके एक साथ आरम्भ या जारी नही रखे जायेंगे।"

धारा 15 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 15 में शब्द "पांच हजार रूपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रूपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 16 में खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:–

"(ग–1) भूमि के मध्य परत में गड्ढा खोदना या बोरिंग करना;

(ग–2) चाहारदीवारी बनाना या निर्माण की निर्दिष्ट रेखा बनाना;

(ग–3) ऐसी सतह, चाहारदीवारी और चिन्ह बनाकर और खांई काटकर रेखा बनाना;

(ग–4) यह सुनिश्चित करना कि क्या किसी भूमि को नक्शा के अनुसार और अनुमति में वर्णित निबन्धनों और शर्तों के अनुसार विकसित किया जा रहा है या विकसित किया गया है।"

धारा 16-क और 16-ख का बढ़ाया जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:—

बाधा डालने, शांति का अधिरोपण करने, बन्द आदि करने के लिए दण्ड

16-क(1) किसी व्यक्ति को, जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करने में बाधा डालता है कारावास से, जो छह माह तक हो सकता है या जुर्माना जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

उद्ग्रहण, निर्धारण, प्रयोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण की शक्ति

16-ख(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जब ऐसा प्रतीत हो कि किसी विशिष्ट विकास योजना की इतनी पर्याप्त प्रगति होगी कि प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि निर्धारित की जाय तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त आदेश द्वारा घोषित करेगा कि प्रयोक्ता प्रभार का निर्धारण करने के प्रयोजन से योजना का निष्पादन पूर्ण किया हुआ समझा जायेगा और सम्पत्ति के स्वामी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को लिखित रूप से नोटिस देगा कि नोटिस में उल्लिखित सम्पत्ति के संबंध में प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधित व्यक्ति द्वारा देय प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि का, ऐसे व्यक्ति को आपत्तियां दाखिल करने और मौखिक सुनवाई के लिए सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित निर्धारण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्धारण की लिखित नोटिस के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में घोषणा द्वारा सूचित करेगा कि वह निर्धारण को स्वीकार करता है या इस पर आपत्ति करता है।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन पारित निर्धारण के आदेश को संबंधित व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोक्ता प्रभारों को स्वीकार कर लिया जाय वहाँ ऐसा निर्धारण अंतिम होगा और संबंधित व्यक्ति निर्धारण आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करेगा।

(5) यदि संबंधित व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन पारित निर्धारण आदेश पर आपत्ति करता है तो संबंधित व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश निर्धारण की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है और अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के दिनांक से छह माह के भीतर अपील का निस्तारण करेगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

(6) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकती है।

(7) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत प्रयोक्ता प्रभार किश्तों की ऐसी संख्या में देय होगा, जैसा इस निमित्त बनायी गयी विनियमावली में नियत किया जाय।

(8) प्रयोक्ता प्रभार का कोई भी बकाया भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगा और ऐसी सम्पत्ति पर प्रभार के रूप में होगा।

अध्यारोही प्रभाव

13—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1976) का अधिनियमन उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और पौर क्षेत्र के रूप में और राज्य में अन्य क्षेत्रों को औद्योगिक और पौर क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए किया गया है। भारत सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा तथा जवाहर लाल नेहरू पोर्ट, मुंबई के मध्य 1483 किमी0 लम्बी ईस्टर्न फ्रेट कोरिडोर विकसित की जा रही है। डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर के दोनों ओर दिल्ली–मुंबई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 7 निवेश क्षेत्र एवं 13 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हैं। निवेश क्षेत्र के विकास से उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ रूपये 5,70,000 करोड़ का निवेश होने का अनुमान है एवं लगभग 14,00,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है, जिसके लिए उक्त परियोजना के विकास हेतु विशेष निवेश क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किसी अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर दो प्रतिशत के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। स्टाम्प शुल्क के रूप में वसूल की गयी धनराशि का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत एवं नगरीय अवस्थापना विकास के लिए किया जायेगा। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त प्रयोजन हेतु उक्त अधिनियम का संशोधन किया जाये।

तदनुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।